356

म/निगरानी/छतरपुर/भूराठ/2017/2727

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक– सन्– 2017

शोभालाल तनय मत्थुर राजपूत निवासी ग्राम परसेड़ी

तहसील चन्दला जिला छतरपुर म0प्र0 –– निगरानीकर्ता

बनाम

मोहन तनय दयाली राजपूत ग्राम परसेड़ी

तहसील चन्दला जिला छतरपुर म0प्र0 –– गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुशनगर/गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 के अपील प्रकरण कमांक– 51/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक– 21/07/2017 से परिवेदित होकर। म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा– 50 के तहत निगरानी प्रस्तुत।

सेवा में,

श्रीमान् निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है कि :–

1– यह कि भूमि खसरा कमांक– 271/1, 278/1, 80 कुल किता–3 रकवा कमशः– 1.050, 0.084, 0.364हे0, कुल रकवा 1.498हे0 स्थित मौजा परसेड़ी तहसील चन्दला जिला छतरपुर म0प्र0 के 1/4 हिस्से का स्वामी व आधिपत्यधारी भूरा तनय दयाली राजपूत था। जिसकी शादी नहीं हुई थी। तथा वह बृद्ध था। उसकी सेवा खुशामद करने वाला कोई नहीं था। जिससे भूरा अपने पारिवारिक भतीजे निगरानीकर्ता के यहॉ रहने लगा था तथा आवेदक/ निगरानीकर्ता तथा उसके

शो.भा.ला/ल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/2727

शोभालाल विरूद्ध मोहन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 51/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-08-2017 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना	

09/01/19

होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 20/1/19
सदस्य